भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

राज्य सभा

लिखित प्रश्न सं. 3340

गुरूवार, 21 अगस्त, 2025/30 श्रावण, 1947 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

पर्यटन रोजगार और आजीविका पर प्रभाव

3340 श्री रतनजीत प्रताप नारायन सिंहः

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या एसएएससीआई और स्वदेश दर्शन जैसी योजनाओं के परिणामस्वरूप जमीनी स्तर पर पर्यटन से संबंधित रोजगार में मापनीय वृद्धि हुई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) आकांक्षी जिलों और विरासत-समृद्ध ग्रामीण समूहों में इन योजनाओं के अंतर्गत कितना अवसंरचनात्मक विकास किया गया है;

(ग) क्या इन हस्तक्षेपों से उत्पन्न दीर्घकालिक आजीविका लाभों की निगरानी के लिए कोई ढांचा है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) पर्यटन आधारित आय के अवसरों में महिलाओं, युवाओं और पारंपरिक कारीगरों की समावेशी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इन योजनाओं को स्थानीय कौशल विकास कार्यक्रमों के साथ किस प्रकार जोड़ा जा रहा है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (घ): पर्यटन मंत्रालय ने देश में चिह्नित विषयगत पर्यटन परिपथों के अंतर्गत पर्यटन अवसंरचना विकसित करने के उद्देश्य से वर्ष 2014-15 में अपनी 'स्वदेश दर्शन योजना (एसडीएस)' शुरू की और 5290.33 करोड़ रुपये की 76 परियोजनाओं को मंजूरी दी। स्थायी पर्यटन स्थलों के विकास के उद्देश्य से इस योजना को 'स्वदेश दर्शन 2.0 (एसडी 2.0)' के नाम से नया रूप दिया गया और एसडी 2.0 योजना के अंतर्गत 2108.87 करोड़ रुपये की 52 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। मंत्रालय ने अपनी 'तीर्थयात्रा कायाकल्प एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान (प्रशाद)' योजना के अंतर्गत देश भर में 1726.74 करोड़ रुपये की 54 परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन की, 'चुनौती आधारित गंतव्य विकास (सीबीडीडी)' नामक एक उप-योजना के अंतर्गत 648.10 करोड़ रुपये की 36 परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने 'पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता (एसएएससीआई)' योजना के अंतर्गत देश में 3295.76 करोड़ रुपये की 40 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। उपर्युक्त योजनाओं के अंतर्गत परियोजनाओं को पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए आकांक्षी और विरासत संबंधी स्थल/गंतव्य सहित अखिल भारतीय स्तर पर; तथा संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन से परियोजना प्रस्ताव प्राप्त होने

पर तथा समय-समय पर जारी योजनाओं के दिशा-निर्देशों और अन्य अनुदेशों के साथ इसकी अनुरूपता, बजट की उपलब्धता आदि के अध्यधीन मंजूरी दी जाती हैं।

स्वदेश दर्शन योजना के दिशानिर्देश राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को पर्यटन स्थलों पर स्थानीय समुदायों के लिए स्व-रोज़गार सहित रोज़गार के अवसर सृजित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसके अतिरिक्त, यह युवाओं और महिलाओं सहित स्थानीय समुदायों के बीच क्षमता निर्माण पर पर्याप्त फोकस करते हुए सतत पर्यटन के सिद्धांतों को अपनाने को भी बढ़ावा देता है और राज्य सरकारों/ संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को पर्यटन स्थलों के विकास की योजना बनाते समय अन्य केंद्रीय और राज्य संबंधी योजनाओं के साथ तालमेल स्थापित करने की सलाह देता है। इसी प्रकार, एसएएससीआई योजना में भी सतत पर्यटन परियोजनाओं के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था के विकास और रोज़गार के अवसर सृजित करने की परिकल्पना की गई है।

उपर्युक्त योजनाओं के अंतर्गत केंद्रीय वित्त पोषण के माध्यम से सृजित परिसंपत्तियों का स्वामित्व संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के पास होता है तथा इसका परिचालन एवं अनुरक्षण, जिसमें दीर्घकालिक आजीविका संबंधी लाभ भी शामिल हैं, उनके स्तर पर किया जाता है।

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के माध्यम से वर्ष 2019 में किए गए स्वदेश दर्शन की केंद्रीय क्षेत्र योजना के तीसरे पक्ष के प्रभाव मूल्यांकन में बताया गया है कि यह योजना निर्माण चरण में स्थानीय समुदायों के लिए आजीविका के अवसर प्रदान करने और रोजगार सृजित करने में सक्षम रही है। स्वदेश दर्शन और एसएएससीआई नामक योजनाओं के द्वारा पैदा रोजगार से संबंधित आंकड़े तैयार करने के लिए मंत्रालय ने हाल के समय में कोई अध्ययन संचालित नहीं किया है। तथापि, भारत में पर्यटन क्षेत्र में रोजगार का परिदृश्य निम्नानुसार है:-

वित्तीय वर्ष	**नौकरियों की कुल संख्या (करोड़ में)**
2021-22	7.0
2022-23	7.6
2023-24	8.4

इसके अतिरिक्त, पर्यटन मंत्रालय अपनी "सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण (सीबीएसपी)" योजना के अंतर्गत सरकारी और सूचीबद्ध निजी संस्थानों के माध्यम से आतिथ्य एवं पर्यटन से संबंधित अल्पकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित करता है। इन कार्यक्रमों में हुनर से रोज़गार तक, उद्यमिता कार्यक्रम, कौशल परीक्षण एवं प्रमाणन, पर्यटन जागरूकता कार्यक्रम आदि शामिल हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, देश भर में महिलाओं और युवाओं सहित कुल 5.54 लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है। इन प्रशिक्षणों के परिणामस्वरूप प्लेसमेंट, स्व-रोज़गार, उद्यमिता आदि में वृद्धि हुई है।

****